

RBE No.126/2016



CPO's SL. No. 142/2016

No. E/Bonus/O/ECR/HJP

Dated:-23.11.2016

1. CAO(Con)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD. पू.म.रे, हाजीपूर।
3. DRM/पू.म.रे/मुगलसराय, दानापूर, धनबाद, सोनपूर एवं समस्तीपूर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/पू.म.रे/हाजीपूर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पू.म.रे/हाजीपूर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/पीडी/मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपूर/हरनौत।
8. Sr.DPO/पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापूर, धनबाद, सोनपूर एवं समस्तीपूर।
9. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
10. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपूर एवं भूली।
11. सभी मुकर्याधी/कार्याधी/पू.म.रे/हाजीपूर।

विषय:- रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह 'ग' तथा 'घ' कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 30 दिनों के तदर्थ बोनस की मंजूरी।


संदर्भ:- Rly. Board's Lt. no. E(P&A)II-2016/Bonus-1 Dated.27.10.2016

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेतर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

  
 (रवि कुमार) (सहायक)  
 सहायक/ई.एस.एम एवं रूलिंग  
 कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपूर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित :

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पू.म.रे./हाजीपूर।
2. महासचिव/एस० सी०./एस० टी०./एशोसिएशन/पू.म.रे./हाजीपूर।
3. सहायक (एम.सी.पी.), पू.म.रे/हाजीपूर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पू.म.रे./हाजीपूर।

  
 23/11/16

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय

11-16 पूर्व-मध्य रेल, जयपुर 13  
रेलवे बोर्ड व. सं. 08  
दिनांक 15-11-16  
04-11-2016

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

31115  
सं. ....  
No. ....  
दिनांक 17/11/16  
Date .....

आर.बी.ई.सं.124/2016  
नई दिल्ली, दि. 27.10.2016

सं. ई(पीएंडए)11-2016/बोनस-1

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां  
(डाक सूची I और II के अनुसार)



विषय:- रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह 'ग' तथा 'घ' कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 30 दिनों के तदर्थ बोनस की मजूरी.

राष्ट्रपति जी को यह विनिश्चय करते हुए हर्ष है कि रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह 'ग' तथा 'घ' के सभी कर्मचारियों को, पात्रता के लिए मजूरी की बिना किसी अधिकतम सीमा के, वर्ष 2015-16 के लिए 30 (तीस) दिनों की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस प्रदान किया जाए। तदर्थ बोनस की परिकलन सीमा 01.04.2014 से ₹ 3500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ 7,000/- प्रतिमाह कर दी गई है।

2. यह लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा :-

(I) रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह 'ग' तथा 'घ' के सभी कर्मचारियों के केवल वे ही कर्मचारी इन आदेशों के अधीन अदायगी के पात्र होंगे जो 31.03.2016 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2015-16 के दौरान कम से कम छः महीने लगातार सेवा पूरी की हो। वर्ष के दौरान छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता की अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जाएगी।

(II) तदर्थ बोनस की प्रमाणा औसत परिलब्धियों/ परिकलन सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर आधारित होगी। एक दिन के लिए तदर्थ बोनस की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने के औसत दिनों की संख्या) से भाग दिया जाएगा। उसके बाद इसे बोनस दिए जाने वाले दिनों की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा। उदाहरणार्थ, परिकलन सीमा ₹ 7000/- मानते हुए (जहां वास्तविक औसतन परिलब्धियां ₹ 7000/- से अधिक हैं), 30 दिनों के लिए तदर्थ बोनस  $\frac{7000 \times 30}{30.4} = ₹ 6907.89/-$  ( ₹ 6908/- में पूर्णांकित) होगा।

(III) इन आदेशों के अंतर्गत सभी अदायगियां निकटतम रूपये में पूर्णांकित की जाएंगी।

(IV) ऐसे मामलों में जहां उपर्युक्त उपबंधों में कोई व्यवस्था नहीं है, समय-समय पर संशोधित इस मंत्रालय के दिनांक 29.12.1988 के पत्रांक ई (पीएंडए)11-88/बोनस/3 द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण आदेश से लागू होंगे।

(V) रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह 'ग' तथा 'घ' के सभी कर्मचारी इस बात का खयाल किए बिना कि वे वर्दी में हैं अथवा बिना वर्दी में हैं और तैनाती के स्थान का खयाल किए बिना इन आदेशों के अनुसार केवल तदर्थ बोनस के लिए पात्र होंगे।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

मो. सलीम अहमद  
(सलीम मो.अहमद)  
उप निदेशक/स्था.(वे.एवं भ.)11  
रेलवे बोर्ड

मुकाधि (प्रशा.)

उप मुकाधि HRD

मुकाधि

मुकाधि

विधि अधिकारी

Ch-3 / Ruling